P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति अत्याचार निवारण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका

शीतल प्रसाद मीना
असिस्टेंट प्रोफेसर,
विधि संकाय,
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय,
जोधपुर, भारत

सारांश

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने हेतु हालॉकि इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अधिनियम, 1989 बनाया गया। इसके पश्चात भी इन जातियों के प्रति होने वाले अत्याचार के मामलें आते रहे है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया और नया कानून अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 को लागू किया गया। 1 जनवरी 2016 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किए जाने के उपरांत 26 जनवरी 2016 को लागू हो गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य मानव अधिकारों से संबधित शिकायतों का निपटारा करना है। पीडितों को मुआवजा दी दिया जाता है। अनेकों मामले हैं जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों का निपटारा किया गया।

मुख्य शब्द : अत्याचार, मानव अधिकार, विभेद, अस्पृश्यता, न्यायपालिका, संविधानिक संरक्षण।

प्रस्तावना

भारत में पिछले काफी समय से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुचाना जैसे जूतों का हार पहनाना, सिर मुडवा देना, जंगलों में जाने से रोकना, मैला उठाना, जातिसूचक शब्दों से संबोधन करना, महिलाओं को देवदासी बनाना, सामाजिक बहिष्कार, महिलाओं को निवस्त्र करना, गॉव से बहिष्कृत करना, मंदिरों में प्रवेश निषेध आदि घटनाएँ सामने आती रही हैं। ऐसे में काफी समय से मॉग की जाती रही है कि इन जातियों के प्रति होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाय। हालॉकि इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अधिनियम, 1989 बनाया गया। इसके पश्चात भी इन जातियों के प्रति होने वाले अत्याचार के मामलें आते रहे है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया और नया कानून अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 को लागू किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए 4 अगस्त, 2015 को लोकसभा द्वारा तथा 21 दिसम्बर, 2015 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया । जिसको राष्ट्रपति के द्वारा 31 दिसम्बर,2015 को सहमति दी गई। 1 जनवरी 2016 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किए जाने के उपरांत 26 जनवरी 2016 को लागू हो गया।

भारत मे आजादी के भी बाद भी समाज का एक बडा वर्ग अपने विरूद्ध होने वाली हिंसा से आज भी पीडित है तो वह है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं। देश में बढती घटनाओं से यह साबित होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग किस प्रकार बिना किसी गलती के लम्बी कालावधि से अमानवीय स्तर का जीवन जी रहे हैं, ये समस्याएं वर्षों से स्थिति को विकट बनाये हुए हैं और उत्पीडित और दासता का जीवन जीने को मजबूर हैं।[1] इससे यह सिद्ध होता है कि इन वर्गों के प्रति अत्याचार व असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान समय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अत्याचारों का वर्णन करना तथा संविधान एवं अधिनियम में इनको संरक्षण प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका का विश्लेषण करना।

अत्याचार का अर्थ

अत्याचार को विधि में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। इसको अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3 में दण्डनीय बनाया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक वाद में यह अभिनिधारित किया कि भारत में अत्याचार शब्द का प्रयोग जो सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, उनके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के प्रति हिंसा यानि निर्दयपूर्ण व्यवहार करना अत्याचार माना है।[2]

अत्याचार के प्रकार

1. सामाजिक भेदभाव
2. बंधुआ मजदूर
3. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा
4. अधिकारों से मना करना विशेषकर भूमि अधिकार
5. अनुसूचित जाति और जनजाति के घर जलाना
6. पीटना, गुलाम बनाना, यातनाएँ देना

संविधानिक उपबंध

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के संविधान मे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निशेध का प्रावधान किया गया है। तथा संसद के द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम,1955 पारित किया गया। संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसका किसी भी प्रकार से आचरण को दण्डनीय घोषित किया गया है। अनुसूचित जातियों के लोगों को किसी जगह सम्पति खरीदने और उनके विधिपूर्ण व्यवसाओं पर और गतिविधिओं पर किन्हीं पाबन्दियों के बिना, कहीं और भी बसने और जिस प्रकार चाहें, उस प्रकार से कोई व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है।[3]अनुच्छेद 25 में यह उपबंध ह कि सार्वजनिक प्रकार की सभी हिंदू धार्मिक संस्थाएँ हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिए खुली रहेंगी। राज्य द्वारा संचालित, प्रबंधित अथवा सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, नस्ल अथवा धर्म व भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जाएगा।[4] यह अधिकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के किसी विधार्थियों को भी प्राप्त है। इनके प्रति भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

भारत में सदियों से सवर्णों द्वारा निम्न जातियों को अछूत समझा जाता रहा है। स्वतंत्रता उपरान्त भारतीय संविधान में मानव निर्मित इस निर्योग्ता को दूर करने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में व्यापक रोकथाम हेतु वर्ष 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एक अधिनियम पास किया। इसके अन्तर्गत नागरिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वे अधिकार जो संविधान के अनुच्छद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर देने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 17 अपने उद्देश्य में बहुत सफल रहा। हमारे समाज से यह पारंपरिक कुरीति अब समाप्त हो चुकी है। यह दुख कि बात है कि हिंदू समाज ने अपने ही कुछ सदस्यों को मनुष्यों से हीन समझा। इस अनुच्छेद से एक समतापूर्ण समाज का उदय हुआ है।[5]

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए सरकार द्वारा संविधान में निहित संरक्षणात्मक उपायों के संदर्भ में बनाये गये प्रयासों का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि संविधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं को समय –समय पर बढाया गया है। इन सभी संविधानिक एवं विधिक संरक्षणों के बाबजूद आज भी इनके प्रति असमानता, अत्याचार, उत्पीडन की घटनांए बढी है। इस बात का उल्लेख राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के कार्यान्वयन की स्थिति पर जारी जन रिपोर्ट के अवसर पर माना कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995 के लागू होने के बावजूद दलित और आदिवासियों के खिलाप अत्याचारों में कमी के बजाय तेजी आई है।[6] इससे यह साबित होता है कि मानवाधिकारों के हनन की आज भी बदस्तूर जारी है।

जनजातियों के लिए संवैंधानिक व विधिक रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद इन पर हत्या ,अपहरण, बलात्कार के रूप में अत्याचार की घटनांए बडी हैं। सर्वप्रथम तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाप केस रजिस्टर नहीं होता है और यदि केस दर्ज दर्ज हो गया तो दोषसिद्धी की दर भी काफी कम है।[7] अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के कार्यान्वयन की स्थिति पर जारी जन रिपोर्ट के अनुसार गलत तथ्य के आधार पर 1/4 केस अन्वेषण के दौरान ही निपटान हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति के खिलाप केस बढे हैं। 2010 में 5885 केस थे जिसमें हत्या के 142 मुकदमें थे। 1714 रजिस्टर्ड केस में से 223 को बंद कर दिया।[8]

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त तथ्यों से वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 16175 शिकायतें में से 5916 शिकायतें अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित प्राप्त हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में 617 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से अत्याचार से संबंधित 74 एवं सर्विस संबंधी 414 तथा 10 अन्य से संबंधित थी।[9] नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के तहत दर्ज मामलों की संख्या निम्न सारणी में दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ,1989 के तहत दर्ज मामले	
2011	39401

2012	39512
2013	46114

Sources-National Crime Record Bureau

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में वर्ष 2014–15 में कुल 114167 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें से एसटी,एसएसी, अन्य पिछडा वर्ग से संबधित 3555 शिकायतें थी।[10] राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य मानव अधिकारों से संबधित शिकायतों का निपटारा करना है। पीडितों को मुआवजा दी दिया जाता है। अनेकों मामले हैं जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों का निपटारा किया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के कुल 455 मामले का आयोग द्वारा निपटारा किया गया। जिसमें राजस्थान राज्य में सबसे अधिक 121व उत्तर प्रदेश में 117 मामलों का निस्तारण किया गया।

क. सं.	राज्य/संघ	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार
1.	आंध्र प्रदेश	112
2.	असम	1
3.	बिहार	42
4.	गुजरात	18
5.	हरियाणा	22
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	कर्नाटक	7
8.	केरल	3
9.	मध्य प्रदेश	13
10.	महाराष्ट्र	9
11.	मिजोरम	1
12.	उडीसा	8
13.	पंजाब	4
14.	राजस्थान	121
15.	तमिलनाड	35
16.	उत्तर प्रदेश	117
17.	दिल्ली	6
18.	छत्तीसगढ	2
19.	झारखंड	12
20.	उत्तराखंड	8
	कुल	455

सौत्रः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2008–09

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाए मामले सामाजिक बहिष्कार रोकने में[11]

सामाजिक बहिष्कार के एक मामले में आयोग ने मीडिया की रिपोर्ट के बाद प्रसंज्ञान लिया और उचित कार्यवाही की। इस मामले में मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि छत्तीसगढ़ के धुनधुट्टी रामपुर पंचायत के आदेश के अनुसरण में जिला कोरबा के गांव घौराबाठा में पिछले 14 महोनों से आदिवासी परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। अभिकथित तौर पर 25 फरवरी, 2013 को एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जब सरपंच से दुर्व्यवहार के आरोप पर वह 10 हजार रुपये का जुर्माना देने में नाकामयाब रहा। अन्य परिवार को भी इसी प्रकार की नियति का सामना करना पड़ा, जब उसके एक सदस्य को सामाजिक रूप से बहिष्कृत परिवार के अन्य सदस्य के साथ बात करते हुए देखा गया था। सामाजिक बहिष्कार के कारण कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता था। उन्हें उनके मवेशी चराने से भी वंचित किया गया था। आयोग ने मीडिया की रिपोर्ट के बाद प्रसंज्ञान लिया और उचित कार्यवाही की।

गुजरात में दलितों का जबरन प्रवास तथा बहिष्कार (मामला सं0 166/6/2/09–10–एफ सी)[12]

आयोग को अहमदाबाद स्थित एक गैर सरकारी संगठन नवसर्जन के कार्यक्रम निदेशक कीर्ति राठौड़ से दिनांक 19 मई, 2009 को एक शिकायत मिली जिसमें गुजरात के 23 गांवों में दलित समुदायों के जबरन प्रवास तथा सामाजिक बहिष्कार की तरफ आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया। सामाजिक बहिष्कार तथा जबरन प्रवास का विस्तृत विवरण देते हुए शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने, जिला सतर्कता समिति द्वारा इस मामले पर विचार करने, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने, कानून के अनुसार पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने तथा उनका पुनर्वास करन के लिए प्रार्थना की गई थी। आयोग के दिनांक 27 मई, 2009 के निर्देशों के अनुसरण में अवर सचिव, गुजरात सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिनांक 13 अगस्त, 2009 के पत्र द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि संबंधित जिला अधिकारियों, अर्थात् पिछड़ी जाति के कल्याण अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों, संबंधित जिले के परियोजना अधिकारियों ने सभी 23 गांवों का दौरा किया था तथा अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सामाजिक बहिष्कार की घोषणा केवल दो गांवों में की गई थी, वे थे –पाटन तालुका में मीठीवादो तथा वीरांगम तालुकामें वंथाल, जिला अहमदाबाद जिला अधिकारियों ने दोनों गांवों का दौरा किया था तथा जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपी थी। संबंधित पिछड़ी जाति जिला कल्याण अधिकारी द्वारा 21 गांवों में नहीं बल्कि केवल दो गांवों में सामाजिक बहिष्कार एवं जबरन प्रवास घोषित किया गया था तथा नियमों के अनुसार उपरोक्त दोनों मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया था। 20 गांवों में हुए अत्याचार के सभी मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की उपयुक्त धाराओं क तहत् उन तीन गांवों को छोड़कर जहाँ ऐसी घटनाएँ नहीं हुई थीं, एफ आई आर

दर्ज किए गए थे। उपरोक्त अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के तहत् सामाजिक बहिष्कार के लिए 2 गांवों में मुआवजा प्रदान किया गया है।

पाटन तालुका के मिठीवादी गांव में 183 दिनों के लिए सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई तथा 27 प्रताड़ित व्यक्तियों को नियमों के अनुसार हर्जाने के रूप में रु0 48,200 की राशि का भुगतान किया गया। अहमदाबाद जिले के वीरंमगम तालुका के वनथाल गांव में एक महीने के लिए सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई तथा 669 उत्पीड़ित व्यक्तियों को नियमों के अनुसार कुल रु0 2,00,700/– के मुआवजे का भुगतान किया गया।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा पाया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जबरन प्रवास तथा सामाजिक बहिष्कार हुआ था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धाराओं के तहत् मामले दर्ज नहीं किए थे। प्रभावित पक्ष को उपयुक्त मुआवजा भी नहीं दिया गया था। यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला था। चूंकि दिए गए मुआवजे की राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसके प्रयोज्य कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए आयोग ने गुजरात सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि क्या कमी रह गई थी तथा संगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को समुचित राशि का भुगतान हो इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

तमिलनाडु में जाति के नाम पर एक दलित लड़के के साथ दुर्व्यवहार (मामला सं0 649/22/5/2011)[13]

14 जून को मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि तमिलनाडु के नल्लीचेट्टी में रहने वाले चकिलिया समुदाय के ए. वसंत कुमार नामक एक दलित लड़के की करिकिलापलयम गांव के नजदीक सार्वजनिक नल से पानी भरने के कारण पिटाई की गई। कथित रूप से बसंत कुमार को जाति के नाम पर गाली भी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, दलितों को उस क्षेत्र में सैलून में बाल कटवाने तथा उनकी झोपड़ियों के बाहर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। यह भी उल्लेख था कि बसंत कुमार का गांव पानी की बेहद कमी से जूझ रहा था।

मोहाली, पंजाब में 23 बंधुआ मजदूरों की रिहाई (मामला सं0 1014/19/0/2010–बी एल)[14]

आयोग को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के एक निवासी यासिन से दिनांक 9 नवम्बर 2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसने आरोप लगाया था कि उसे 22 अन्य लोगों के साथ जिसमें बच्चे भी थे, पंजाब के मोहाली जिले के देरावसी थाना के रामपुर गांव स्थित बब्बू साहब के स्वामित्व वाले एन टी वी ईंट भट्ठे में बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया था। उनसे जबरन काम कराया जाता था, मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं नहीं दी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

भारत सरकार द्वार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार, करने एवम् ऐसे अपराधों का विचारण करने पर एवम् अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया है एवं इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित विषयों के विचारण हेतू विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं और अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को–अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करता है, क्षति पहॅचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से उसके निवास के परिसर में या पड़ौस में मल–मूल, कूड़ा या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है, बैगार करने के लिए बाध्य करता है, ऐसी जाति के व्यक्ति की भूमि का बलात् उपयोग करता है, बलपूर्वक कपडे उतारता है, नंगा करता है, चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाता है या अन्य प्रकार के कार्य जो मानव सम्मान के विरूघ हैं, मिथ्या या द्वेषपूर्ण विधिक कार्यवाही संस्थित करता है, महिला का लैंगिक शोषण करना, सार्वजनिक मार्ग या रूढिजन्य अधिकारों सें वंचित करेगा, किसी सदस्य को अपना मकान, गॉव या अन्य निवास स्थान छोडने के लिए मजबूर करेगा या करवाएगा, सार्वजनिक मार्ग या रूढ़िजन्य अधिकारों से वंचित करेगा, मतदान न करने के लिए या किसी विशेष व्यक्ति को मतदान करने के लिए बाध्य करता है, तो ऐसा कार्य अपराध माना जाएगा। ऐसे अपराधी को कारावास से जो कम से कम 6 मास से दण्डित होगा, परन्तु ऐसा कारावास पॉच वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है। साथ ही आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा। यह अधिनियम जनजाति महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दशा में सहायक सिद्ध हुआ है।

अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 2015

राज्यसभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2015 को पारित किया गया। इसका उदेश्य अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन करना था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों की कुछ अन्य श्रेणियॉ जोडी हैं।

1. किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को जबरन किसी प्रत्याशी के पक्ष में अथवा विपक्ष में मत डालने पर मजबूर करना अपराध की श्रेणी में गिना जायेगा।
2. किसी अनुसूचित जाति और जनजाति को महिला के यौन शोषण की श्रेणी में निम्न अपराधों को षामिल किया गया है– किसी महिला को उसकी स्वीकृति के हाथ लगाना, अभद्र भाषा तरीके या भाव से महिला से बात करना, किसी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला को मंदिर में देवदासी के रूप में रखना भी अपराध है। इस अधिनियम में सहमति का अर्थ बोलकर या भाव द्वारा सहमति देना भी है।

3. इस अधिनियम में कछ नए कार्य अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं जो निम्न है–जूतों की माला पहनाना, मानवीय अथवा पशुओं के अवशेष को उठाने पर मजबूर करना अथवा हाथ से मल की सफाई करवाना, सार्वजनिक स्थान पर जाति का नाम लेकर अपमानित करना, किसी व्यक्ति के प्रति बुरी इच्छा रखना एवं देहावसान के उपरांत भी अपमान करना, व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार किए जाने की धमकी देना।
4. अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को निम्न कार्य करने स रोकना भी अपराध होगा– 1. सार्वजनिक सम्पत्ति के संसाधनों को प्रयोग करने से रोकना, 2. किसी मंदिर या पूजा स्थल पर जाने से रोकना, 3.किसी शिक्षण संस्थान अथवा स्वास्थ केन्द्र में जाने से रोकना, 3.अपराध करने वाला व्यक्ति यदि पीडित परिवार के किसी सदस्य या उससे किसी तरह संबंधित है तो अदालत ऐसी स्थिति में यह अपराध जानबूझकर किया मानेगी।
5. इस अधिनियम में अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि शिकायत या एफआईआर दर्ज करना, दी गई जानकारी को पढना तथा उपयुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर वाली कॉपी शिकायतकर्ता को देना। अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का, पीडित सूचनाकर्ता या साक्षियों की अभित्रास, प्रपीडन या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्त्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित रूप में दी गई हो, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको निःशुल्क दी जाएगी। संबद्ध राज्य का, न्याय प्रदान करने में पीडित और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्त्तव्य होगा, जिसमें–

(क) अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सके,
(ख) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु रूप में राहत प्रदान की जा सके,
(ग) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके;
(घ) मृत्यु या उपहति या सम्पत्ति को नुकसान के संबंध मे राहत प्रदान की जा सके;
(ड.) पीडितों को खाद्ध या जल या कपडे या आश्रय या चिकित्सालय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रति दिन भत्तों की व्यवस्था की जा सके;
(च) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों को भरण–पोषण प्रदान किया जा सके; और
(छ) शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय अत्याचार से पीडितों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की जा सके;
(ज) अभित्रास और उत्पीडन के अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके;
(झ) अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की प्रति प्रदान की जा सके;
(ञ) चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वासावधानिया की जा सके;
(ट) राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके;
(ठ) अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके;
(ड) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्ठिकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजनों के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके;

6. इस अधिनियम में सरकारी अधिकारियों के उत्तरदायित्व तय किए गए हैं कि जिनका अनुपालन न होने पर 6 महिन से लेकर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
7. इस अधिनियम में अपराधों के निपटारे हेतु जिला स्तर पर विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालयों के द्वारा मामला दो महिने में ही निपटारा किया जाए। अपील भी उच्च न्यायालय में की जायेगी और अधिकतम तीन महिने में निपटारा किया जायेगा। प्रत्येक विशेष अदालत के लिए एक लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक नियुक्त किया जायेगा। दंड प्रकिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अन्नय विशेष न्यायालय, पीडित उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करेगा–

(क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सुरक्षा;
(ख) अन्वेषण, जॉच और विचारण के दोरान यात्रा तथा भरण–पोषण व्यय; और
(ग) अन्वषण, जॉच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास; और
(घ) पुनअवस्थान

न्यायपालिका का योगदान

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसमें न्यायमूर्ति काटजू व न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ने अपने निर्णय में यह कहा कि देशवासियों को आदिवासियों के प्रति मानसिकता बदली होगी और उन्हें भारत के मूल निवासियों की तरह सम्मान देना चाहिए। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य में भील समुदाय की महिला को उसी गॉव के ताकतवर समुदाय के एक व्यक्ति से अवैध संबंध क कारण गर्भवती हो गई इसके पश्चात् इसक महिला के साथ मारपीट की गई और निर्वस्त्र कर घुमाया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को घृणित और शमनाक करार दिया। तथा

न्यायालय ने यह टिप्पणी कि ''आदिवासियों से जंगल व जमीन छीन ली हैं, उनका जीवन गरीबी व अषिक्षा के कारण दूभर हो गया है। तथा आदिवासी अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा चरित्रवान होते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोटि में आने वाली जाति के नाम से कहना या रेस्टोरेंट में भिन्न बर्तन आदि देना या सम्मान के लिए मृत्य देने के बराबर हैं एवं दोषी पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए।[15] और इस अधिनियम के तहत धारा 3(1), की परिधि में आने वाले आरोपों को साबित करने का भार परिवादी पर होगा।[16] इस प्रकार यह अधिनियम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा करता है। निश्चित ही यह विशिष्ट विधायन द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन है।[17]

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि वर्तमान में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जनजातियों को अत्याचार पर रोकथाम हेतु कानून तो बनाये हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रयास सार्थक रहा है। आयोग के समक्ष मामला आने पर शीघ्र निपटारा किया जाता है। आयोग के समक्ष अनेकों मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित निपटारा कर मुआवजा दिलाया गया।

अंत टिप्पणी

1. *अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत –सामाजिक न्याय मानवाधिकार और पुलिस, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली*
2. *आर. के बालोथिया बनाम भारत संघ ,1994 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2668 (एम.पी)*
3. *अनुच्छेद 19 (5) भारत का संविधान*
4. *अनुच्छेद 29*
5. *ब्रज किशोर शर्मा,भारत का संविधान एक परिचय, पेज 95*
6. *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के कार्यान्वयन की स्थिति पर जारी जन रिपोर्ट*
7. *राष्ट्रीय सहारा 18 मई 2012*
8. *दि हिन्दू 20 मई 2012*
9. *इंडियन एक्सप्रेस 29 जनवरी,2016*
10. *उपरोक्त..*
11. *आदिवासी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार (मामला सं0 307/33/10/2014), मानव अधिकार समाचार पत्र जून 2014*
12. *रा.मा.अ.आ वार्षिक रिपोर्ट 2011.2012, पेज 102*
13. *उपरोक्त*
14. *रा.मा.अ.आ. वार्षिक रिपोर्ट 2011.2012, पेज105*
15. *अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 1834*
16. *जग्गू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2000 क्रि. लॉ ज. 711 मध्यप्रदेश*
17. *डॉ बसन्ती लाल बाबेल, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, सैंट्रल लॉ पब्लिकेषन पेज 41*